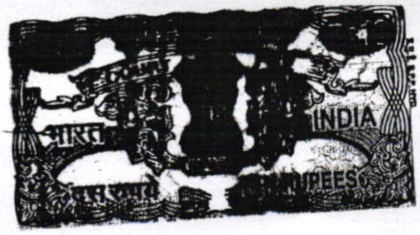

III/निगरानी/मुरैना/भू-रा/2017/2608

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण

1. श्यामसुन्दर पुत्र श्री रामभरोसी आयु–23 वर्ष, व्यवसाय– खेती
2. बंटी पुत्र श्री रामभरोसी आयु– 20 वर्ष, व्यवसाय–खेती
3. भोला पुत्र श्री रामभरोसी आयु– 18 वर्ष, व्यवसाय–खेती
4. जीतू पुत्र श्री रामभरोसी आयु– 14 वर्ष, अवयस्क द्वारा सरपरस्त माँ श्रीमती **गुड्डीबाई** पत्नी श्री रामभरोसी

समस्त निवासीगण– **अकहरा** परगना अम्बाह, जिला **मुरैना**, म0प्र0 -- **आवेदकगण**

दिनांक 11.8.17 को श्री करुणा बाजपेयी अधि० द्वारा प्रस्तुत/
11.8.17
SO

करुणा बाजपेयी एड.
11/8/17

बनाम

वृन्दावन सिंह पुत्र श्री **रामसिंह** जाति ठाकुर निवासी– ग्राम इकहरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना, म0प्र0 -- **अनावेदक**

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 29 **म0प्र0** भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश **दिनांक** 29/06/2017 पारित द्वारा अनुविभागीय **अधिकारी** अम्बाह जिला मुरैना, म0प्र0 के प्रकरण **कमांक** 71/2011–12 अपील व उनवान **वृन्दावनसिंह** बनाम श्यामसुन्दर आदि ।</u>

माननीय महोदय,

XXIX(a)-BR(H)-11

273

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2608

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरुण वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	